

कार्यालय अनुमण्डलाधिकारी,
अत्यन्त पिछङा वर्ग/पिछङा वर्ग के लिए
प्रमाण-पत्र संख्या दिनांक

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्रीग्राम/मुहल्ला.....
पोस्टथाना.....अनुमण्डल.....
जिला.....राज्य.....के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में
आरक्षरण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम १९९१ के
अधीन अत्यन्त पिछङा वर्ग (अनुसूची १) पिछङा वर्ग (अनुसूची २) के अन्तर्गत जाति
के सदस्य है।
यह प्रमाण-पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी..... जिसका प्रमाण-पत्र संख्या
दिनांक के आधार पर निर्गत किया जाता है।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुमण्डलाधिकारी